कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सख्या:–प्राशिप/सम्बद्धता/2014/ 10331–10415 लखनऊःदिनांक– 25/6/14

:– कार्यालय ज्ञाप :–

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के अनुमोदन के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 24–6 –2014 को बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सत्र 2014–15 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया है :–

"संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत सभी तथ्य उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ए0आई0सी0टी0ई की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी तथ्यों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा तत्समय भी कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, और समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि तीन माह के अंदर संस्थाओं का निरीक्षण परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा करा लिया जाये तथा जिन संस्थाओं का ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार क्लास रूम, ट्यूटोरियल रूम, कार्यशाला/प्रयोगशाला इत्यादि न पायी जाये एवं निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के मानकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, और सोसाइटी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संस्था की संचालक सोसाइटी स्वयं उत्तरदायी होगी।"

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2014–15 हेतु निम्नवत् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2014–15 हेतु सम्बद्धता उपरोक्त शर्तों के साथ–साथ निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

श्रीमती फुलेहरा स्मारक कालेज आफ पालीटेक्निक, कमतैला, रसड़ा, बलिया–221712	सिविल इंजी0	120	03
	इलेक्ट्रिकल इंजी.	60	03
	मैकेनिकल इंजी0(प्रो0)	120	03

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली–1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यकमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम सहित) हेतु रू0 28,000/– प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों हेतु रू0 20,000 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2014–15 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को {उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना } विनियमावली–2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवष्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/ निर्देशों एव निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वंय उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस संबंध में यदि छात्र/छात्राओं द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज–सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/2014/ 10416 तद्दिनांक– 25-6-14

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
2. निदेशक, आई0आर0डी0टी0 कानपुर।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य श्री मती फुलेहरा स्मारक स्मारक कालेज आफ पालीटेक्निक, कमतैला सिकंदरपुर, बलिया 221712 को इस आशय से कि संस्था की सोसाइटी/ट्रस्ट के संचालक/प्रबंधक को उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव